

कायालय मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म), हल्दी

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर

जिला-उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

विश्वविद्यालय फार्म के विभिन्न प्रक्षेत्रों में खरीफ 2019 में उत्पादित लगभग 195.00 हैक्टेयर पर धान की फसल की कम्बाईन से कटाई एवं थ्रेसिंग कार्य एवं 35.00 (सोयाबीन, उर्द) की कम्बाईन से थ्रेसिंग कार्य/अन्य कृषि कार्य हेतु

निविदा प्रपत्र

निविदा संख्या.....

निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय

निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय

निविदा खोलने की तिथि व समय

: निविदा शुल्क ₹ 100.00 प्रति निविदा+जी0एस0टी0

: दिनांक 05.09.2019 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से

: दिनांक 27.09.2019 को अपरान्ह 1.00 बजे तक

: दिनांक 27.09.2019 को अपरान्ह 3.00 बजे

विश्वविद्यालय फार्म के विभिन्न प्रक्षेत्रों में खरीफ 2019 में उत्पादित विभिन्न फसलों में कम्बाईन से कटाई एवं थ्रेसिंग/अन्य कृषि कार्य हेतु दरें।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टर)	दर प्रति हैक्टेयर (अंकों एवं शब्दों में)	अनुमानित कम्बाईन से कटाई का विवरण
1	विश्वविद्यालय फार्म पर उत्पादित धान की कम्बाईन से कटाई एवं थ्रेसिंग का कार्य	195.00	10 अक्टूबर 19 से 10 नवम्बर 19 तक	10 नवम्बर 19 से कार्य की समाप्ति तक
2.	विश्वविद्यालय फार्म पर उत्पादित सोयाबीन एवं उर्द के फसल की कटाई के पश्चात् कम्बाईन से थ्रेसिंग का कार्य	35.00		-

मैंने निविदा की शर्तों का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्त मान्य हैं। धरोहर धनराशि ₹ बैंक ड्राफ्ट/नकद रसीद सं०..... दिनांक..... के द्वारा जमा कर दिया है जो इस निविदा के साथ संलग्न है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

ड्राफ्ट सं०/रसीद सं०

निविदादाता के हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पूरा नाम/पिता का नाम

धनराशि ₹

ग्राम व पो०.....

तह०..... जनपद.....

पिन..... दूरभाष.....

मोबाइल नं०.....

पैन नम्बर आधार नं०.....

बैंक का नाम एवं शाखा

बैंक खाता संख्या


निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदादाता के हस्ताक्षर

धान की कम्बाईन से कटाई एवं थ्रेसिंग कार्य एवं सोयाबीन एवं उर्द की फसल की कम्बाईन से थ्रेसिंग

निविदा की शर्तें

1. निविदादाता को निविदायें दिनांक 27.09.2019 को अपराह्न 1.00 बजे तक फार्म मुख्यालय हल्दी में रक्षित पेटी में जमा करनी होगी। जो उसी दिन सांय 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेगी।
2. निविदा के साथ धरोहर धनराशि ₹ 20,000.00 (₹ बीस हजार मात्र) वापसी योग्य का बैंक ड्राफ्ट/नकद रसीद जो विश्वविद्यालय फार्म खाता के नाम भारतीय स्टेट बैंक हल्दी/पन्तनगर/यूको बैंक हल्दी/पन्तनगर/नैनीताल बैंक नगला में (विश्वविद्यालय फार्म खाता) देय हो जमा करना आवश्यक होगा। बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी।
3. निविदा में दरें माहवार प्रस्तुत करनी होगी तथा कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु प्रत्येक प्रक्षेत्र में अलग-अलग कम्बाईन उपलब्ध करानी होगी।
4. निविदादाताओं को प्रस्तुत निविदा के अनुसार विश्वविद्यालय फार्म की आवश्यकतानुसार कम्बाईनों को उपलब्ध कराना होगा। कम्बाईनों की मौँग के अनुसार उपलब्धता न होने के कारण विश्वविद्यालय फार्म को होने वाली क्षति का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा। इसके साथ ही धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
5. सम्बन्धित ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के द्वारा विश्वविद्यालय फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पत्ति को यदि कोई हानि होती है तो उसका दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।
6. यदि सम्बन्धित ठेकेदार ठेका लेने के उपरान्त कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु विधिक कार्यवाही की जायेगी।
7. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी पर निहित होगा। किसी तरह के विवाद का निर्णय लेने का अधिकार विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी को होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
8. अनुमानित कार्य का क्षेत्रफल कम या अधिक हो सकता है।
9. सम्बन्धित ठेकेदार को उपरोक्त कार्य कराये जाने वाले प्रक्षेत्रों में प्रतिदिन स्वयं उपस्थित होना आवश्यक है। विश्वविद्यालय फार्म प्रशासन द्वारा निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित ठेकेदार के अनुपस्थित होने की स्थिति में ठेका निरस्त कर जमा सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10. सम्बन्धित ठेकेदार को अपना बैंक खाता, पेन नं० एवं आधार कार्ड नं० का निविदा में उल्लेख करते हुए छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी तथा उक्त कार्य पर जी०एस०टी० मुक्त होने का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म के कर्मचारियों/अधिकारियों अथवा उनके साथ सम्बन्धी उपरोक्तानुसार ठेका आधार पर कार्य कराये जाने के पात्र नहीं होंगे।
12. उपरोक्त कार्य पर किसी भी प्रकार का टैक्ट/स्टाम्प डियूटी आदि राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया जाता है तो उसके भुगतान की पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। इस विषय में विश्वविद्यालय फार्म पूर्णरूपेण उत्तरदायित्व नहीं होगा।

मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म)


निविदादाता के हस्ताक्षर